रा॰ वि॰ GCMS NO. 2024/195 बअनवान जयेश भाई वगैरा बनाम राजस्थान सरकार

प्रा॰पत्र U/S॰ 131,136, राज॰ भू राजस्व अधि॰ 1956.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
10/06/2024	प्रार्थीगण द्वारा उनकी धारित खातेदारी भूमि की मौका स्थिति के विपरीत नक्शे में तरमीम होने से नक्शे में तरमीम दुरस्ती हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाली की जांच अनुशंषा सहित प्राप्त हुआ। प्रकरण राजस्व विविध में पंजीकृत किया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस संबंध में तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बेड़ा-II द्वारा तैयार रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में धारित भूमियों की नक्शे में तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होने से मौका स्थिति अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि का निवेदन किया। तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का बेड़ा-II ने रिकार्ड व मौका स्थिति की जाँच के पश्चात स्वीकार करते हुए जाहिर किया गया कि खसरा नं॰ 3772 के विभाजन के बाद तत्कालीन पटवारी के द्वारा गलत तरमीम की गई। अत: अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार खसरा नं॰ 3772 के खसरा 3772/2 की लाईन नाप अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक बताया। इसी प्रकार खसरा नं. 3772/2 में 3772/3 की लाईन तथा खसरा नं॰ 3772/3 में खसरा नं. 3772/1 की लाईन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक बताया।	मुद्दई स्वयं उपस्थित / [signature] / दुर्गा / नारंगी / नारंगी B / [signature] / [signature]

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

[signature]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा राजस्थान भू राजस्व अधि-नियम 1956 की धारा 131 तथा राजस्थान लेण्ड् रिकार्ड रूल्स 1957 में नक्शा शुद्धि संबंधित नियमों का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन के पश्चात् माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बेड़ा-II प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नक्शे में शुद्धि किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बेड़ा-II के मूल खसरा नं. 3772 से विभाजन के बाद बने नये तरमीमी नंबर 3772/1, 3772/2, 3772/3, 3772 की पटवारी हल्का बेड़ा-II एवं तहसील-दार बाली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व रिपोर्ट अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बेड़ा-II द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बेड़ा-II को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक [illegible] पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner